पीठासीन अधिकारी :- मुरारी लाल शर्मा R.A.S

राजस्व वाद संख्या:- 2010/116

दायर दिनांक: 15-07-2010

वादी		प्रतिवादी
चान्दमल पुत्र जयचन्द लाल जाति माली निवासी - लाडनूं जरिये आम मुख्त्यार व क्रेता बाबू लाल पुत्र चन्दनमल जाति माली निवासी - लाडनूं जिला - नागौर	ब ना म	(1) राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, नागौर (2) तहसीलदार - लाडनूं

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा U/s 88,188 RTA

उपस्थित :- (1) श्री मुमताज खान अधिवक्ता वादी

(2) तहसीलदार लाडनूं प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक:- 30-06-2016

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा लाडनूं में मालियों के बास की आबादी के बीच स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 1690 कुल रकबा 02=10 बीघा है, जो वादी चान्दमल व उसके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है। खसरा नम्बर 1690 की किस्म राजस्व रेकार्ड में गै. मु. अंगोर दर्ज है। इस खसरा की 4800 वर्गगज भूमि वादी के कब्जा काश्त में है। उक्त खसरा की भूमि पर वादी के पिता जयचन्द लाल का पीढ़ियों से कब्जा, उपयोग व उपभोग रहा है। कब्जा बाबत खसरा गिरदावरीयों में भी अंकित है। खसरा नम्बर 1690 की भूमि अंगोर अथवा चारागाह के रूप में काम में नहीं ली गई। यह भूमि जागीर के समय से ही खाली पड़त रही है। खसरा नम्बर 1690 की 00=02 बीघा [illegible] करीम के नाम से गै. मु. आबादी दर्ज है। यह भूमि बाड़ा व आबादी के रूप में काम ली जाती रही है। उक्त खसरा की भूमि राजस्व रेकार्ड में बाड़ियों के रूप में भी दर्ज रही है। खसरा नम्बर 1690 में सिर्फ 4800 वर्गगज भूमि बाड़े के रूप में शेष है। शेष भूमि पर मकानात इत्यादि अन्य लोगों के बने हुए हैं। उक्त खसरा की भूमि पर वादी का पीढ़ियों से कब्जा रहने के कारण 4800 वर्गगज भूमि की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने का वादी अधिकारी है जिस कारण यह दावा पेश करना लाजमी हुआ है। दावा अन्दर मियाद व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना वादी है कि खसरा नम्बर 1690 रकबा 02=10 बीघा कस्बा लाडनूं की 4800 वर्गगज भूमि बाड़ा की खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तित की जावे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि खसरा नम्बर 1690 की 4800 वर्गगज भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही के तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया कि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1690 की 02=10 बीघा भूमि की किस्म गै. मु. अंगोर दर्ज है जो प्रतिबंधित किस्म की भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार द्वारा पारित निर्णय

xxxxx

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूँ (नागौर)

Scanned by CamScanner

xxxxx

दिनांक 10.07.2003 व 02.09.2003 के अनुसार गै.मु. अंगोर की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। वादी का दावा खारिज किया जावे।

दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :-

(1) आया सरहद लाडनूं के आराजी खसरा नम्बर 1690 रकबा 02=10 बीघा में से वादपत्र संख्या 1 में वर्णित पड़ौस की 4800 कागज भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का वादी अधिकारी है
— वादी

(2) आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा बराखिलाफ प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है
— वादी

(3) अनुतोष.

वादी ने अपने वाद के समर्थन में खसरा गिरदावरियां संवत 2010-2022, मुख्त्यारनामा, इकरारनामा बेचान, नक्शा ट्रेस प्रति, जमाबन्दी संवत 2006-25 पेश की। मौखिक साक्ष्य में बाबूलाल के बयान कलमबद्ध करवाये व सोहन लाल का शपथपत्र प्रस्तुत हुए परन्तु बयानों जिरह नहीं हुई।

प्रतिवादीगण ने तहरीरी व जुबानी साक्ष्य पेश नहीं की।

बहस समाप्त की गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः उनके वाद पर आधारित रही तथा उन्होंने दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

प्रतिवादीपक्ष की तरफ से तहसीलदार लाडनूं की बहस है कि भूमि राजकीय है तथा किस्म गै.मु. अंगोर है इसलिए वादी खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है। दावा खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन व तत्संबंधी विधि का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त तनकीवार निर्णय निम्नानुसार पारित किया जाता है.

तनकी संख्या :- एक

सरहद लाडनूं के खसरा नम्बर 1690 रकबा 02=10 बीघा में से 4800 कागज भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की वादी इस्तदुआ कर रहा है। वादी का कथन है कि विवादित भूमि वादी के पिता जयचन्द लाल के समय से ही उनके कब्जा काश्त की रही है। भूमि का अंगोर अथवा चारागाह के रूप में कभी भी उपयोग नहीं हुआ है। वादी का कदीमी कब्जा काश्त होने के कारण उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। प्रतिवादीपक्ष का कथन है कि भूमि की किस्म गै.मु. अंगोर है इसलिए वादी खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 1690 सरहद लाडनूं राजकीय भूमि है तथा किस्म गै.मु. अंगोर दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत अंगोर भूमि प्रतिबन्धित भूमि है। सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी अंगोर भूमि को प्रतिबन्धित भूमि होना मानकर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया xx3xx

उपखण्ड अधिकारी
लाडनूँ (नागौर)

Scanned by CamScanner

(3)

xxxxxx

गया है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गै.मु. अंगोर दर्ज होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः तनकी संख्या एक बरखिलाफ वादी, बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :- दो

स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए खातेदार होना व खातेदार की हैसियत से काबिज होना प्रथम शर्त है। विवादग्रस्त आराजी गै.मु. अंगोर भूमि है तथा तनकी संख्या एक के निर्णयानुसार वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण वह स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त नहीं कर सकता है। उक्तानुसार तनकी संख्या दो बरखिलाफ वादी, बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

अनुतोष

मुतनाजिया भूमि खसरा नम्बर 1690 सरहद लाडनूं राजकीय भूमि है तथा किस्म गै.मु. अंगोर है। गै.मु. अंगोर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है इसलिए वादी खातेदारी अधिकार व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। तदनुसार दावा वादी खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

सरहद लाडनूं के आराजी खसरा नम्बर 1690 रकबा 02.10 बीघा में से 4800 वर्गगज भूमि के घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वादी का दावा मय खर्चा खारिज किया जाता है।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं (नागौर)
लाडनूं

निर्णय आज दिनांक 30.06.2016 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
लाडनूं (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं